भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1393

(दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

आईजीओटी लैब

1393. श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री आलोक शर्मा:
श्री राधेश्याम राठिया:
श्री नव चरण माझी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्थापित आईजीओटी लैब के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए इनमें चलाए जा रहे विशिष्ट पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आईजीओटी लैब के ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी को बढ़ावा देने की योजना का ब्यौरा क्या है और सबसे अधिक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले कर्मचारियों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है; और

(ग) शिकायतों के निवारण में सुधार लाने तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) लैब का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण पूरा करने के लिए तकनीक तक समान

पहुंच प्रदान करना है, विशेष रूप से उन्हें जो अपने आधिकारिक काम में व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं जैसे एमटीएस, स्टाफ कार ड्राइवर, कैंटीन स्टॉफ और रिकॉर्ड कीपर आदि। कर्मचारी कौशल को बढ़ाने के लिए आई-गॉट कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से शुरू किए गए विशिष्ट पाठ्यक्रमों में शामिल हैं:

1. स्वच्छता ही सेवा प्रशिक्षण मॉड्यूल
2. नए प्रवेशार्थियों के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स
3. अवकाश नियम
4. मल्टी-टास्किंग कर्मयोगी प्रारंभ
5. साइबर सुरक्षा की मूल बातें आदि।

आई-गॉट लैब ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने के उपाय और पहल इस प्रकार हैं:

1. मीडिया यूनिटों को उपयुक्त स्थानों की पहचान करके आई-गॉट लैब स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।
2. कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए लैब का उपयोग करने के लिए सूचित और प्रोत्साहित किया जाता है।
3. एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, ताकि कर्मचारी तदनुसार योजना बना सकें।
4. रिपोर्टिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एमटीएस और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण पूरा करने के लिए समय आवंटित किया जाए।
5. जो कर्मचारी अधिकतम आई-गॉट प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए।

जहां तक शिकायत निवारण का प्रश्न है, शिकायत निवारण की गुणवत्ता को बेहतर करने तथा शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय को कम करने के लिए लंबित मामलों की नियमित आधार पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। मंत्रालय ने आंतरिक समाधान तंत्र को सुदृढ़ करने और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की पहल भी की है।

*****